बिहार सरकार
<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 176321 पटना, दिनांक 05-02-14
ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(नोटिस)-102-46/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी,</u>
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त लाभुकों से आवास निर्माण पूर्ण कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत हैं कि इंदिरा आवास योजना का मूल उद्देश्य बेघर बी.पी.एल. परिवारों को सहायता उपलब्ध कराकर उनके स्थायी आवास की समस्या का निदान करना है । इंदिरा आवास की मार्गदर्शिका में इंदिरा आवास का कोई प्राक्कलन/नक्शा निर्धारित नहीं है । लाभुकों द्वारा सहायता राशि प्राप्त कर अपने आवास का निर्माण कार्य स्वयं पूर्ण कराना है । यद्दपि कि लाभार्थी से आवास की समस्या के निदान हेतु सहायता राशि का समुचित उपयोग कर आवास का निर्माण ससमय पूर्ण कर लिया जाना अपेक्षित है लेकिन व्यवहार में ऐसा पाया जा रहा है कि कई लाभुक सहायता राशि का उपयोग आवास निर्माण में न कर अपने निजी कार्यों में कर लेते हैं, फलत: उनके समक्ष आवास की समस्या ज्यों कि त्यों बनी रह जाती है जिससे महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है । अपूर्ण आवासों के कारण इस मद में किये गये व्यय की सार्थकता को सम्पुष्ट करने में दिक्कतों का सामना कना पड़ता है । इन सब कारणों को दृष्टिगत रखते हुए तथा लाभुक अपने आवास को भौतिक रूप से पूर्ण कराकर आवासित हो जाएँ, इसे सुनिश्चित करने हेतु यह व्यवस्था दी गयी थी कि वैसे लाभुक जिन्होंने सहायता राशि प्राप्त कर छ: माह के अंदर अपने आवास को भौतिक रूप से पूर्ण नहीं कराया है, उन्हें सफेद कागज पर एक माह के अंदर आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए नोटिस दी जाय इसके बाद पुन: एक माह का समय देकर लाल कागज पर नोटिस दिया जाय । इसके बावजूद लाभुकों द्वारा आवास निर्माण पूर्ण नहीं कराने पर लाभुकों के विरूद्ध दी गयी सहायता राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने तथा हठी लाभुकों के विरूद्ध FIR दर्ज की जाय ।

इस संबंध में समय-समय पर उप विकास आयुक्तों के राज्य स्तरीय बैठकों में एवं जिलों के साथ Video Conferencing के माध्यम से आवासों की पूर्णत: के संबंध में समीक्षा की जाती रही है तथा आवास को भौतिक रूप से पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु निदेशित किया जाता रहा है । गत वित्तीय वर्ष में नोटिस, नीलाम पत्र वाद तथा प्राथमिकी दर्ज करने हेतु अभियान चलाया गया था । इस दिशा में प्रगति की समीक्षा से ज्ञात होता है कि विगत कुछ माह से यह अभियान शिथिल हो गया है ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त की सहायता राशि प्राप्त कर लेने के दो माह के अंदर आवास निर्माण भौतिक रूप से पूर्ण कर लेने वाले लाभुकों को 2000 रूपये प्रोत्साहन स्वरूप देने की योजना चालू वित्तीय वर्ष से प्रारंभ की गयी है ।

ऐसी स्थिति में जो लाभुक दूसरी किस्त की सहायता राशि प्राप्त कर अपने आवास को भौतिक रूप से पूर्ण नहीं कराये हैं उन्हें चिन्हित कर प्रखण्डवार सूची तैयार कर इन लाभुकों को आवास निर्माण भौतिक रूप से पूर्ण कराने के लिए नोटिस निर्गत कर चेतना देने की नितांत आवश्यकता है ताकि वे नोटिस में निर्धारित अवधि के अंदर अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लें तथा सहायता राशि की वापसी एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई से बच सके ।

अत: उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ Close Monitoring कर सभी चिन्हित लाभुकों को इस माह के अंत तक नोटिस निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ताकि चालू वित्तीय वर्ष में सभी निर्माणाधीन आवास पूर्ण प्रतिवेदित हो सके ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 176321 पटना, दिनांक 05-02-14

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

प्रधान सचिव

IAY 960a मुकेश